[2021] 7 एस. सी. आर. 413

भारत का संघ

वी.

मनराज एंटरप्राइजेज

(2021 की सिविल अपील संख्या 6592)

18 नवंबर, 2021

[एम. आर. शाह और बी. वी. नागरत्ना, जे. जे.]

कार्य अनुबंध से संबंधित विवाद की शुद्धता-मध्यस्थ ने बकाया राशि और प्रतिभूति जमा को छोड़कर पूरी राशि पर क्रमशः 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दर से भविष्य का ब्याज दिया-उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया आदेश-अपील पर कहा गयाः एक बार जब ठेकेदार इस बात पर सहमत हो जाता है कि वह अनुबंध के तहत देय राशि पर ब्याज का हकदार नहीं होगा, जिसमें बकाया राशि पर ब्याज और प्रतिभूति शामिल है। पक्षकारों के बीच समझौते/अनुबंध के खंड 16 (2) में उल्लिखित जमा, मध्यस्थता कार्यवाही में मध्यस्थ को पक्षों के बीच समझौते/अनुबंध की शर्तों के विपरीत और खंड 16 (2) के विपरीत ब्याज देने की कोई शक्ति नहीं है।

के तहत ठेकेदार को देय राशि "अभिव्यक्ति"

अनुबंध "को" बयाना धन जमा "या" प्रतिभूति जमा "के संयोजन में नहीं पढ़ा जा सकता है-इसे बयाना धन जमा और प्रतिभूति जमा के लिए स्वतंत्र रूप से और अलग-अलग पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि उपयोग किया जाने वाला शब्द" या "और नहीं" और "बयाना धन जमा", "प्रतिभूति जमा" और "अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय राशि" के बीच है-इस प्रकार, इजस्डेम जेनरिस का सिद्धांत नहीं है। लागू-इसके अलावा, भले ही सरकार को ब्याज दिया गया होता, लेकिन यह भी स्वीकार्य नहीं था और चुनौती का विषय हो सकता था-कानून के खिलाफ कोई रोक नहीं हो सकती-मध्यस्थ ने अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय और देय राशि पर विचाराधीन राशि और भविष्य का ब्याज देने में गलती की और इसकी उच्च न्यायालय द्वारा गलती से पुष्टि की गई, इस प्रकार, दोनों उच्च न्यायालयों द्वारा पारित आदेश और मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा पारित निर्णय को दरकिनार कर दिया गया-मध्यस्थता और सुलह

अधिनियम, 1996-ss. 34 , 37 .

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

अपील को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 की ओर से प्रस्तुत किया गया निवेदन

प्रत्यर्थी कि अनुबंध की सामान्य शर्तों के खंड 16 (2) के तहत प्रतिबंध, मध्यस्थ न्यायाधिकरण स्वतंत्र रूप से और

न्यायसंगत आधार पर और/या न्याय करने के लिए ब्याज लटक सकता है या भविष्य के ब्याज का कोई सार नहीं है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक बार जब ठेकेदार इस बात से सहमत हो जाता है कि वह अनुबंध के तहत देय राशि पर ब्याज का हकदार नहीं होगा, जिसमें पक्षकारों के बीच समझौते/अनुबंध के खंड 16 (2) में उल्लिखित बकाया राशि और प्रतिभूति जमा पर ब्याज भी शामिल है, तो मध्यस्थ को मध्यस्थता की कार्यवाही में ब्याज देने की कोई शक्ति नहीं है, जो पार्टियों के बीच समझौते/अनुबंध की शर्तों के विपरीत और विचाराधीन समझौते/अनुबंध के खंड 16 (2) के विपरीत है। [पैरा 8.1] [427-डी-एफ]

1.2 प्रत्यर्थी ने प्रस्तुत किया कि खंड 16 को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और ऐसा करने पर, यह कहा जा सकता है कि खंड 16 विशेष रूप से बकाया धन और प्रतिभूति जमा से संबंधित है और

इसे किसी भी तरह से इस तरह से नहीं पढ़ा जा सकता है कि लटकते ब्याज पर रोक लगे। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि खंड 16 (1) बकाया राशि/प्रतिभूति जमा के संबंध में है। तथापि, खंड 16 (2) विशेष रूप से हितग्राही पर देय ब्याज के संबंध में है। धन या प्रतिभूति जमा या देय राशि

अनुबंध के तहत ठेकेदार। खंड 16 (2) में उपयोग किए गए शब्द "या" हैं। इसलिए, अभिव्यक्ति "देय राशि है

अनुबंध के तहत ठेकेदार को ईजुस्डेम जेनरिस के सिद्धांत को लागू करके "बयाना धन जमा" या "प्रतिभूति जमा" के संयोजन में नहीं पढ़ा जा सकता है। "अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय राशि" अभिव्यक्ति को पढ़ना होगा। स्वतंत्र रूप से और असंगत रूप से धन जमा और प्रतिभूति जमा के लिए जैसा कि शब्द "या" और "नहीं" और "के बीच" का उपयोग किया जाता है।

" बयाना धन जमा "," प्रतिभूति जमा "और" अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय राशि "। इसलिए, एजुस्डेम जेनरिस का सिद्धांत तत्काल मामले में लागू नहीं होता है। [पैरा 10] [427-एफ-एच; 428-ए-बी]

1.3 जी. सी. सी. के खंड 16 (2) को ध्यान में रखते हुए, मध्यस्थ ब्याज, विचाराधीन राशि या भविष्य के ब्याज को भारत संघ v से सम्मानित नहीं कर सकता था।

मनराज एंटरप्राइजेज

तत्काल मामले में अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय और देय राशि पर। [पैरा 11] [430-एच; 431-ए] 1.4 यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि वकील द्वारा दी गई रियायत यदि कोई हो जो इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत है।

पक्षकारों पर बाध्यकारी नहीं होगा। इसके अलावा, केवल इसलिए कि अपीलार्थी ने ब्याज का दावा किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि ठेकेदार लंबित ब्याज का हकदार होगा। भले ही अपीलार्थी को ब्याज दिया गया होता, लेकिन यह भी अनुज्ञेय नहीं था और चुनौती का विषय हो सकता था। संक्षेप में, कानून के खिलाफ कोई रोक नहीं हो सकती है। [पैरा 12] [431 बी-डी]

1.5 मध्यस्थ ने पेंडेंट लाइट देने में गलती की और

विचाराधीन अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय और देय राशि पर भविष्य के ब्याज की उच्च न्यायालय द्वारा गलती से पुष्टि की गई है। [पैरा 13] [431-डी-ई]

1.6 1996 के अधिनियम की धारा 37 के तहत एक अपील में उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश और एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश

1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत आवेदन और मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा लंबित राशि और अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय और देय राशि पर भविष्य का ब्याज देने वाले निर्णय को रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। जी. सी. सी. के खंड 16 (2) में निहित विशिष्ट बाधा को ध्यान में रखते हुए, ठेकेदार किसी भी लंबित ब्याज या भविष्य के ब्याज का हकदार नहीं होगा।

अनुबंध के तहत देय और देय राशि। [पैरा 14] [431 ई-एफ]

भारत संघ बनाम। मेसर्स प्रदीप विनोद कंस्ट्रक्शन कं. 2007 की सिविल अपील संख्या 2099 ने 03.08.2017 पर निर्णय लिया

अप्रयोज्य रखा गया।

भारत संघ बनाम। ब्राइट पावर प्रोजेक्ट्स (इंडिया) (पी) लिमिटेड (2015) 9 एस. सी. सी. 695: [2015] 6 एस. सी. आर. 488; जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड बनाम टिहरी पनबिजली विकास निगम

(इंडिया) लिमिटेड (2019) 17 एससीसी 786 [2019] 2 एससीआर 41 -

पर भरोसा किया।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गर्ग बिल्डर्स बनाम। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (2021) एससीसी ऑनलाइन एससी 855: 2021 (11) स्केल 693;

सचिव, सिंचाई विभाग, उड़ीसा राज्य बनाम।

जी. सी. रॉय (1992) 1 एससीसी 508: [1991] 3 पूरक। एससीआर

417 ; रवीची एंड कंपनी बनाम। भारत संघ (2018)

7 एससीसी 664: [2018] 5 एस. सी. आर. 138; कैलाश बनाम नन्हकू

(2005) 4 एससीसी 480: [2005] 3 एस. सी. आर. 289; राज्य कर्नाटक बनाम. श्री रामेश्वर राइस मिल्स (1987) 2

एस. सी. सी. 160 [1987] 2 एस. सी. आर. 398; अम्बिका कंस्ट्रक्शन बनाम।

भारत संघ (2017) 14 एस. सी. सी. 323 का उल्लेख किया गया।

मामला कानून संदर्भ

2021 (11) स्केल 693

संदर्भित किया गया है

पै

रा 3

[1991] 3 पूरक। एससीआर 417

संदर्भित किया गया है

पै

रा 4

[2018] 5 एससीआर 138

संदर्भित किया गया है

पै

रा 4

[2005] 3 एससीआर 289

संदर्भित किया गया है

पै

रा 4

[1987] 2 एससीआर 398

पै

रा 6

संदर्भित किया गया है

(2017) 14 एससीसी 323

संदर्भित किया गया है

पै

रा 7

[2015] 6 एससीआर 488

पर भरोसा किया।

पै

रा 11

[2019] 2 एससीआर 41

पर भरोसा किया।

पै

रा 11

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः सिविल अपील No.65

2021 .

उच्च न्यायालय के 12.04.2021 दिनांकित निर्णय और आदेश से

2018 के एफ. ए. ओ. (ओ. एस.) No.52 में नई दिल्ली में।

के. एम. नटराज, ए. एस. जी., बालेन्दु शेखर, शैलेश मडियाल,

श्रीनिवासन, वरुण चुघ, अमरीश कुमार, अधिवक्ता। अपीलार्थी के लिए

विकास सिंह, वरिष्ठ अधिवक्ता। , वरुण सिंह, नितिन सलूजा, सुश्री डी।

कालिया, कपीश सेठ, मृत्युंजय सिंह, सातविक मिश्रा, सुश्री प्रियंका के सुश्री पारुल शर्मा, अधिवक्ता। उत्तरदाता के लिए।

भारत संघ v. मनराज एंटरप्राइजेज

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. एफ. ए. ओ. (ओ. एस.) No.52/2018 में दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और दिनांक 12.04.2021 आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, जिसमें उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने अपीलार्थी की उक्त अपील को खारिज कर दिया है और एकमात्र मध्यस्थ द्वारा ब्याज के पुरस्कार को बरकरार रखते हुए विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश की पुष्टि की है, भारत संघ ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

2. कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच तीन कार्य अनुबंधों के संबंध में एक अनुबंध किया गया था। आपस में हुआ विवाद

पक्ष और दोनों पक्ष विवाद के समाधान के लिए मध्यस्थता में चले गए। विद्वान एकमात्र मध्यस्थ ने 17.01.2011 दिनांकित पुरस्कार के माध्यम से Rs.78,81,553.08 की राशि प्रदान की। विद्वान मध्यस्थ ने बयाना राशि जमा और प्रतिभूति जमा को छोड़कर पूरी दी गई राशि पर क्रमशः 12 प्रतिशत और 18 प्रतिशत की दर से विचाराधीन राशि और भविष्य का ब्याज भी दिया।

2.1 कि भारत संघ ने मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 (इसके बाद के रूप में संदर्भित) की धारा 34 के तहत एक अपील को प्राथमिकता दी

1996 अधिनियम) ने दावा संख्या पर दिए गए पुरस्कार को चुनौती दी। 5 भुगतान की नियत तारीख से बकाया देय भुगतान पर दिए गए पूर्व-मुकदमा, विचाराधीन राशि और भविष्य के ब्याज से संबंधित 17.01.2011 दिनांकित पुरस्कार के माध्यम से।

2.2 उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने उक्त अपील को खारिज कर दिया। इस मामले को डिवीजन बेंच के समक्ष आगे बढ़ाया गया था

1996 अधिनियम की धारा 37 के तहत एफ. ए. ओ. (ओ. एस.) सं. 52/2018 का तरीका। विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय की खंड पीठ ने उक्त अपील को खारिज कर दिया है और विचाराधीन लघु ब्याज और बकाया देय भुगतान पर दिए गए भविष्य के ब्याज को प्रदान करने वाले विद्वान मध्यस्थ द्वारा दिए गए निर्णय की पुष्टि की है। इसलिए, वर्तमान अपील।

3. अपीलार्थी की ओर से पेश हुए अपर सॉलिसिटर जनरल श्री के. एम. नटराज ने कहा है कि

पक्षों के बीच अनुबंध, ब्याज के भुगतान के खिलाफ एक प्रतिबंध था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि पक्षों के बीच सहमति के अनुसार और खंड के अनुसार 16 (2) , बकाया राशि या प्रतिभूति जमा या अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

21] 7 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

3.1 यह आग्रह किया जाता है कि 1996 के अधिनियम की धारा 31 (7) (ए) के तहत भी, जब तक कि पक्षों के बीच अन्यथा सहमति न हो, मध्यस्थ न्यायाधिकरण उस राशि को शामिल करें जिसके लिए पुरस्कार को ब्याज बनाया गया है, उस दर पर जो वह उचित समझे, पूरी राशि या धन के किसी भी हिस्से पर। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि कोई अभिव्यक्ति "पक्षों के बीच सहमत" है

यह अनुबंध कि कोई ब्याज देय नहीं होगा, पक्ष इस तरह के समझौते से बाध्य हैं और इस पर कोई ब्याज या तो लंबित नहीं है या भविष्य का ब्याज नहीं है।

अनुबंध के तहत देय और देय राशि प्रदान की जाएगी।

3.2 यह तर्क दिया जाता है कि वर्तमान मामले में, पक्षों के बीच अनुबंध को नियंत्रित करने वाले जीसीसी के खंड 16 (2) विशेष रूप से भुगतान पर रोक लगाता है।

ब्याज, न केवल बकाया राशि या प्रतिभूति जमा पर, बल्कि अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय किसी भी राशि पर भी। यह है। आग्रह किया कि चूंकि पक्ष अनुबंध द्वारा शासित होते हैं और मध्यस्थ और मध्यस्थता कार्यवाही अनुबंध के जीव हैं, इसलिए वे पक्षों के बीच अनुबंध में जो विचार किया गया है, उससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं।

3.3 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि मध्यस्थ की धारा 16 (2) के परिमाणीयता खंड पर विचार करते हुए विचाराधीन लघु ब्याज देने की शक्ति

भारत संघ बनाम के मामले में इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा जी. सी. सी. की जांच की गई है। ब्राइट पावर प्रोजेक्ट्स (इंडिया) (पी) लिमिटेड, (2015) 9 एससीसी 695। उक्त मामले में यह विशेष रूप से देखा और अभिनिर्धारित किया गया है कि ब्याज देने के लिए पक्षों और बार के बीच विशिष्ट अनुबंध को देखते हुए, ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था।

बयाना धन जमा या प्रतिभूति जमा या अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय राशि पर भी अनुमेय। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अभिव्यक्ति "अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय राशि" के तहत देय राशि के प्रत्येक भुगतान को कवर करने के लिए पर्याप्त व्यापक है

अनुबंध।

3.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि गर्ग बिल्डर्स बनाम के मामले में इस न्यायालय द्वारा "अनुबंध के तहत देय धन" अभिव्यक्ति पर विचार किया गया है और विचार किया गया है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, 2021 एससीसी ऑनलाइन एससी 855 = 2021 (11) स्केल 693। यह देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि यदि अनुबंध पूर्व-संदर्भ और लंबित ब्याज को प्रतिबंधित करता है, तो मध्यस्थ उक्त अवधि के लिए ब्याज नहीं दे सकता है। यह तर्क दिया जाता है कि उपरोक्त मामले में, उपयोग की गई अभिव्यक्ति "किसी भी धन के कारण थी

नियोक्ता द्वारा "ठेकेदार" जिसमें मध्यस्थ द्वारा दी गई राशि शामिल है। इसलिए, जहां अनुबंध में एक विशिष्ट खंड है जो भारत का संघ v.

मनराज एंटरप्राइजेज [एम. आर. शाह, जे.]

यह अभिनिर्धारित किया गया है कि यदि पक्षों के बीच समझौता विशेष रूप से ब्याज देने पर प्रतिबंध लगाता है, तो मध्यस्थ ऐसे मामलों में लंबित ब्याज नहीं दे सकता है। 3.6 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णय पर भरोसा करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपील और रद्द करने की अनुमति दी जाए और उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णयों और आदेशों के साथ-साथ ब्याज, विचाराधीन राशि और भविष्य के ब्याज को प्रदान करने वाले विद्वान मध्यस्थ द्वारा पारित पुरस्कार को दरकिनार कर दिया जाए।

प्रस्तुत किया कि यदि जी. सी. सी. का पूरा खंड 16 पढ़ा जाता है, तो यह स्पष्ट है कि यह विशेष रूप से बकाया धन और प्रतिभूति जमा से संबंधित है और इसे किसी भी तरह से लंबित ब्याज या अन्य राशियों पर प्रतिबंध का संकेत देने के लिए नहीं पढ़ा जा सकता है जैसा कि भारत संघ की ओर से तर्क दिया गया है। 4.1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि विद्वान ए. एस. जी. द्वारा उद्धृत किसी भी निर्णय में इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखा गया है कि विभिन्न द्वारा निर्धारित कानून

मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के तहत न्यायिक घोषणाओं को 1996 के अधिनियम की धारा 31 (7) (ए) के तहत वैधानिक रूप से संहिताबद्ध किया गया है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

4.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि सचिव, सिंचाई विभाग, उड़ीसा राज्य के मामले में इस न्यायालय की पांच न्यायाधीशों की पीठ बनाम। जी. सी.

हल्का लटकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मध्यस्थ कभी भी समझौते का पक्षकार नहीं होता है और इसलिए यह मध्यस्थ को लंबित ब्याज देने से नहीं रोकता है। यह तर्क दिया जाता है कि प्रतिभूति जमा और बकाया राशि पर ब्याज का दावा करने के लिए पक्षकारों पर प्रतिबंध है न कि मध्यस्थ को अन्य राशियों पर बकाया ब्याज देने के लिए। उसी के समर्थन में, इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भरता रखी गई है कैलाश बनाम का मामला। नन्हकू, (2005) 4 एस. सी. सी. 480, जिसमें इस न्यायालय ने आदेश VIII नियम 1 सी. पी. सी. पर विचार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया है कि प्रतिबंध न्यायालय के समक्ष एक पक्ष पर है न कि न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों पर। यह प्रस्तुत किया जाता है कि 1996 के अधिनियम की धारा 31 (7) (ए) के निष्पक्ष अध्ययन पर भी, यह स्पष्ट है कि ब्याज का दावा करने का प्रतिबंध पक्षों पर है न कि विशेष रूप से मध्यस्थ पर।

4.4 यह तर्क दिया जाता है कि वर्तमान मामले में, उच्च न्यायालय ने भारत संघ बनाम पर सही ढंग से निर्भरता रखी है। मेसर्स प्रदीप विनोद

निर्माण कंपनी, 2007 की सिविल अपील संख्या 2099 ने 03.08.2017 पर निर्णय लिया और अपीलार्थी द्वारा दिए गए निर्णयों को सही ढंग से अलग किया क्योंकि उक्त निर्णयों में जी. सी. सी. के खंड 16 (2) पर कोई चर्चा नहीं थी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मेसर्स प्रदीप विनोद कंस्ट्रक्शन कंपनी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय ने जी. सी. सी. के खंड 16 (2) पर विचार किया है और अपीलार्थी द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों, अर्थात् ब्राइट पावर प्रोजेक्ट्स (इंडिया) पी. लिमिटेड (उपर्युक्त) और अन्य निर्णयों पर विचार करने के बाद, यह अभिनिर्धारित किया है कि बकाया राशि और प्रतिभूति जमा पर कोई ब्याज देय नहीं है। इसलिए यह प्रस्तुत किया जाता है कि जब तक कि भारत का संघ v.

मनराज एंटरप्राइजेज

[एम. आर. शाह, जे.]

मध्यस्थ के खिलाफ निर्णय देने के लिए एक स्पष्ट और विशिष्ट प्रतिबंध है

अल्प ब्याज पर, मध्यस्थ को दी गई राशि पर ब्याज देने से नहीं रोका जाता है।

4.5 यह आग्रह किया जाता है कि टिहरी पनबिजली विकास निगम लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर उसकी ओर से भरोसा किया जाए।

अपीलार्थी की याचिका, मामले के तथ्यों पर लागू नहीं होती है क्योंकि उक्त मामले के खंड खंड 16 (2) से भौतिक रूप से अलग थे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि खंड 50 और 51 में भुगतान पर एक स्पष्ट बार था ठेकेदार को देय धन पर ब्याज और विवाद के कारण धन पर ब्याज का भुगतान।

4.6 यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय के समक्ष, विद्वान वकील अपीलार्थी की ओर से उपस्थित हुए

तथ्य यह है कि वर्तमान अपील में उठाया गया मुद्दा मैसर्स प्रदीप विनोद कंस्ट्रक्शन कंपनी के मामले में इस न्यायालय के फैसले में शामिल है।

(ऊपर) और इसलिए एक बार जब इसे स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसके बाद भारत संघ के लिए स्पष्ट रियायत देने के बाद उसी मुद्दे को उठाने का अधिकार नहीं है। 4.7 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, अपीलार्थी ने भी प्रतिवादी से 18 प्रतिशत की दर से ब्याज का दावा किया था -

प्रति-दावा और वही मध्यस्थ न्यायाधिकरण के दिनांक 17.01.2011 के निर्णय में दर्ज किया गया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि अपीलार्थी अब नहीं कर सकता है

यह कहने की अनुमति दी जाए कि कोई भी ब्याज विचाराधीन नहीं है जो विद्वान मध्यस्थ द्वारा दिया जाना चाहिए।

5. प्रत्युत्तर में, यह श्री नटराज, विद्वान ए. एस. जी. द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि मैसर्स प्रदीप विनोद कंस्ट्रक्शन के मामले में इस न्यायालय का निर्णय कं. (ऊपर) किसी भी कानून/कानूनी मिसाल को निर्धारित नहीं करता है। यह आग्रह किया जाता है कि किसी भी मामले में, जयप्रकाश एसोसिएट्स लिमिटेड बनाम के मामले में तीन न्यायाधीशों की पीठ के फैसले से पहले इसे प्रस्तुत किया गया है। टिहरी हाइड्रो

विकास निगम (भारत) लिमिटेड (ऊपर)। 6. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुना है और हमारे सामने उठाए गए मुद्दों पर विचार किया है।

6.1 इस न्यायालय के विचार के लिए जो संक्षिप्त प्रश्न पूछा गया है, वह जी. सी. सी. के विशिष्ट खंड 16 (2) को ध्यान में रखते हुए है कि क्या ठेकेदार देय राशि [2021] 7 एस. सी. आर. पर किसी भी ब्याज के लिए हकदार है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

बकाया धन या प्रतिभूति के अलावा ठेकेदार को

जमा करें।

6.2 जी. सी. सी. का खंड 16 निम्नानुसार हैः

" 16 : अर्नेस्ट मनी एंड सिक्यूरिटी डिपॉजिट-(1) बकाया राशि

ठेकेदार द्वारा अपनी निविदा के साथ जमा की गई राशि को रेलवे द्वारा प्रतिभूति के हिस्से के रूप में रखा जाएगा।

ठेकेदार द्वारा अनुबंध। इस प्रतिभूति जमा को पूरा करने के लिए शेष राशि जो अनुबंध के कुल मूल्य का 10 प्रतिशत होगी, जब तक कि विशेष शर्तों, यदि कोई हो, में अन्यथा निर्दिष्ट न हो, ठेकेदार द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों के मामले में या उनके रूप में जमा की जा सकती है या प्रतिशत द्वारा वसूल की जा सकती है। ठेकेदार के "खाते में"
बिलों से कटौती का प्रावधान यह भी है कि चूक करने वाले ठेकेदार के मामले में रेलवे ठेकेदार को भुगतान के लिए देय किसी भी राशि को अपने पास रख सकता है।

लेखा-पत्र ', ताकि इस प्रकार रखी गई राशि या राशि नहीं हो सकती है

अनुबंध के कुल मूल्य के 10 प्रतिशत से अधिक।

(2) अनुबंध के तहत ठेकेदार को बकाया राशि या प्रतिभूति जमा या देय राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा, लेकिन इस खंड के उपखंड (1) की अवधि में जमा की गई सरकारी प्रतिभूतियां उपार्जित ब्याज के साथ चुकाई जाएंगी।

उस पर "।

इस प्रकार, खंड 16 (2) के अनुसार, बकाया राशि या प्रतिभूति जमा या देय राशियों पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

अनुबंध के तहत ठेकेदार।

6.3 कर्नाटक राज्य बनाम के मामले में इस न्यायालय द्वारा "अनुबंध के तहत देय धन" अभिव्यक्ति के दायरे पर विचार किया गया है। श्री रामेश्वर राइस मिल्स, (1987) 2 एससीसी 160। पैराग्राफ 9 में, इसे निम्नानुसार देखा और माना गया हैः

" 9. ..... पूर्ण पीठ इस बात पर ध्यान देने में विफल रही है कि भले ही अनुबंध की शर्तों के उल्लंघन के कारण नुकसान का भुगतान देय हो जाता है, नुकसान का भुगतान करने का दायित्व अनुबंध की शर्तों के बाहर नहीं बल्कि अनुबंध की शर्तों के भीतर आता है। शब्द "कोई भी राशि जो इसके किसी भी हिस्से के तहत पहले पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को देय या देय हो सकती है।

समझौते को खंड के पहले भाग के संयोजन के साथ पढ़ा जाना चाहिए जो शर्तों के उल्लंघन के लिए हर्जाने का भुगतान करने के लिए राज्य के साथ अनुबंध करने वाले पक्ष पर दायित्व निर्धारित करता है। इसलिए, यह भारत संघ V का अनुसरण करता है।

मनराज एंटरप्राइजेज [एम. आर. शाह, जे.]

कि हालांकि नुकसान के उल्लंघन के कारण देय हो जाता है

समझौते की शर्तें जो फिर भी राशि का गठन करती हैं

अनुबंध के तहत देय अर्थात की शर्तों में से एक के तहत शर्तों के उल्लंघन के लिए नुकसान का भुगतान करने के लिए दायित्व अधिरोपित करने वाला अनुबंध।

उपायुक्त द्वारा निर्धारित की जाने वाली राशि, यह नहीं हो सकती कहा कि निर्दिष्ट नुकसान के तहत देय धन नहीं होगा

अनुबंध और इसलिए नुकसान के तहत वसूली नहीं की जा सकती है राजस्व वसूली अधिनियम। निर्दिष्ट क्षति पर क्या लागू होगा

इसी तरह उन नुकसानों पर भी लागू होता है जो बाद में निर्धारित किए जाते हैं।

मूल्यांकन। अतः यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि यद्यपि क्षति का भुगतान किया जाता है

समझौते की शर्तों के उल्लंघन के कारण वे अनुबंध के तहत देय राशि का गठन करते हैं।

7. इससे पहले भी एक ऐसा ही सवाल विचार के लिए सामने आया था।

गर्ग बिल्डर्स (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय के हालिया फैसले में न्यायालय। उक्त मामले में, इस न्यायालय ने खंड 17 पर विचार किया, जो निम्नानुसार हैः

" खंड 17: बी. एच. ई. एल. द्वारा अर्नेस्ट पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। धन जमा, प्रतिभूति जमा या देय किसी भी धन पर

ठेकेदार "।

[बोल्ड अक्षर हमारे हैं]

ब्याज लंबित देने पर विभिन्न निर्णयों पर विचार करने के बाद

अम्बिका निर्माण बनाम के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों पर चर्चा करने के बाद मध्यस्थ द्वारा लघु और भविष्य का हित। भारत संघ, (2017) 14 एस. सी. सी. 323 और रवीची एंड कंपनी

(उपर्युक्त) और इस मुद्दे पर अन्य निर्णयों पर, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 9 से 18 में निम्नानुसार टिप्पणी की हैः

" 9. दूसरी ओर, श्री पल्लव कुमार, विद्वान वकील

प्रत्यर्थी के लिए, प्रस्तुत किया कि 1996 की धारा 31 (7) (ए) अधिनियम में किए गए अनुबंध को सर्वोच्च महत्व दिया गया है।

दलों के बीच और स्पष्ट रूप से एक की शक्ति को प्रतिबंधित करता है मध्यस्थ पूर्व-संदर्भ और विचाराधीन लघु ब्याज प्रदान करेगा जब

कि यदि अनुबंध में ही एक विशिष्ट खंड है जो स्पष्ट रूप से ब्याज के भुगतान को रोकता है, फिर यह मध्यस्थ [2021] 7 एस. सी. आर. के लिए खुला नहीं है।

लटकता हुआ हल्का ब्याज प्रदान करना। आगे यह तर्क दिया गया कि अम्बिका

निर्माण (उपर्युक्त) तत्काल मामले पर लागू नहीं होता है क्योंकि इसका निर्णय मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के तहत किया गया था, जबकि तत्काल मामला 1996 अधिनियम के तहत आता है। आगे यह तर्क दिया गया कि ब्याज अधिनियम की धारा 3 न्यायालय को किसी भी ऋण या नुकसान की वसूली के लिए कार्यवाही में ब्याज की अनुमति देने की शक्ति प्रदान करती है या ऐसी कार्यवाही में जिसमें पहले से ही भुगतान किए गए किसी भी ऋण या नुकसान के संबंध में ब्याज का दावा किया जाता है। तथापि, ब्याज अधिनियम की धारा 3 (3) एक अपवाद तैयार करता है और किसी भी ऋण या क्षति से उत्पन्न ब्याज के भुगतान से अनुबंध करने के पक्षों के अधिकार को मान्यता देता है और उन अनुबंधों को पवित्र करता है जो ऋण या क्षति से उत्पन्न ब्याज के भुगतान को रोकते हैं। इसलिए अनुबंध का खंड 17 भारतीय अनुबंध अधिनियम, 1872 के किसी भी प्रावधान का उल्लंघन नहीं करता है। आगे की दलीलों के आलोक में, विद्वान वकील अपील को खारिज करने के लिए प्रार्थना करता है।

1996 का अधिनियम अब एकीकृत नहीं है। 1996 के अधिनियम के प्रावधान अनुबंध को सर्वोपरि महत्व देते हैं। दलों के बीच और स्पष्ट रूप से एक की शक्ति को प्रतिबंधित करता है

जब पक्षकार स्वयं इसके विपरीत सहमत हो जाते हैं तो मध्यस्थ पूर्व-निर्देश और लंबित ब्याज प्रदान करता है। अनुभाग 31 (7) (क) 1996 के अधिनियम का, जो ब्याज के भुगतान से संबंधित है, निम्नानुसार हैः

" 31 (7) (क) जब तक पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति नहीं दी जाती है, जहां और जहां तक मध्यस्थता पुरस्कार धन के भुगतान के लिए है, माध्यस्थम न्यायाधिकरण उस राशि को शामिल कर सकता है जिसके लिए पुरस्कार दिया जाता है।

जिस तारीख को कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ और जिस तारीख को पुरस्कार दिया गया, उसके बीच की अवधि के पूरे या किसी भी हिस्से के लिए, उस राशि के पूरे या किसी भी हिस्से पर, उस दर पर ब्याज, जो वह उचित समझे।

11. उपरोक्त प्रावधान से यह स्पष्ट है कि यदि अनुबंध पूर्व-संदर्भ और लंबित ब्याज को प्रतिबंधित करता है, तो मध्यस्थ

उक्त अवधि के लिए ब्याज नहीं दिया जा सकता है। वर्तमान मामले में,

ब्याज को प्रतिबंधित करने वाला खंड बहुत स्पष्ट और स्पष्ट है। यह नियोक्ता द्वारा "ठेकेदार को देय कोई भी धन" अभिव्यक्ति का उपयोग करता है जिसमें मध्यस्थ द्वारा दी गई राशि शामिल है।

12. सईद अहमद एंड कंपनी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य, (2009) 12 एस. सी. सी. 26, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि मध्यस्थ की ब्याज देने की शक्ति के संबंध में 1996 अधिनियम की धारा 31 (7) (ए) के तहत एक प्रावधान किया गया है। इस धारा के अनुसार, यदि अनुबंध ब्याज के भुगतान पर रोक लगाता है, तो मध्यस्थ कार्रवाई के कारण की तारीख से पुरस्कार की तारीख तक ब्याज नहीं दे सकता है।

13. श्री कामची अम्मान कंस्ट्रक्शंस बनाम। डिवीजनल रेलवे मैनेजर (वर्क्स), पालघाट, (2010) 8 एस. सी. सी. 767, इस न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया था कि जहां पक्षकार इस बात पर सहमत हुए थे कि ब्याज देय नहीं होगा, मध्यस्थ न्यायाधिकरण उस तारीख के बीच ब्याज नहीं दे सकता है जिस दिन कार्रवाई का कारण उत्पन्न हुआ था। 14. भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बनाम ग्लोब हाय-फैब्स लिमिटेड, (2015) 5 एस. सी. सी. 718, एक समान मामला है जहाँ इस न्यायालय ने निम्नानुसार निर्णय दिया हैः

" 16. वर्तमान मामले में हमने देखा कि ब्याज को प्रतिबंधित करने वाला खंड बहुत व्यापक रूप से लिखा गया है। यह "किसी भी राशि" शब्दों का उपयोग करता है। नियोक्ता द्वारा ठेकेदार के कारण "। हमारी राय में, इन शब्दों को पहले के शब्दों के साथ एजुस्डेम जेनरिस के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है।

" वास्तविक धन "या" प्रतिभूति जमा "।

15. श्री चित्तरंजन मैती बनाम। भारत संघ, (2017) 9 एस. सी. सी. 611, यह स्पष्ट रूप से अभिनिर्धारित किया गया था कि यदि कोई अनुबंध निषेध करता है

पूर्व-अधिनिर्णय अवधि के लिए ब्याज का अधिनिर्णय, मध्यस्थ उक्त अवधि के लिए ब्याज का अधिनिर्णय नहीं कर सकता है।

16. इसलिए, यदि अनुबंध में एक विशिष्ट खंड है जो स्पष्ट रूप से ब्याज के भुगतान पर रोक लगाता है, तो मध्यस्थ के लिए लंबित ब्याज देने के लिए यह खुला नहीं है। अम्बिका कंस्ट्रक्शन (ऊपर) में अपीलार्थी के विद्वान वकील द्वारा जिस निर्णय पर भरोसा किया गया था, उसका तत्काल मामले में कोई आवेदन नहीं है क्योंकि अम्बिका कंस्ट्रक्शन का निर्णय अम्बिका कंस्ट्रक्शन के तहत किया गया था।

मध्यस्थता अधिनियम 1940 जबकि तत्काल मामला 1996 अधिनियम के तहत आता है। श्री चित्तरंजन मैती (ऊपर) में यह स्पष्ट किया गया है।

निम्नानुसारः

" 16. अम्बिका में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा करते हुए

निर्माण वी। भारत संघ, (2017) 14 एस. सी. सी. 323, अपीलार्थी के विद्वान वरिष्ठ वकील ने प्रस्तुत किया कि अनुबंध के तहत देय राशि पर ब्याज देने के लिए केवल प्रतिबंध [2021] 7 एस. सी. आर. नहीं होगा।

लटकते ब्याज पर भुगतान से इनकार करने के लिए पर्याप्त है। इसलिए, मध्यस्थ को पेंडेंट लाइट ब्याज देने में उचित ठहराया गया था। हालांकि, अंबिका कंस्ट्रक्शन (उपरोक्त) से यह स्पष्ट नहीं है कि क्या यह मध्यस्थता अधिनियम, 1940 (संक्षेप में) के तहत तय किया गया था। " 1940 अधिनियम) या 1996 अधिनियम के तहत। इसने उड़ीसा राज्य बनाम में संविधान पीठ के एक फैसले पर भरोसा किया है। जी. सी. रॉय, (1992) 1

एससीसी 508। यह निर्णय 1940 के अधिनियम के संदर्भ में था। 1940 के अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था जो मध्यस्थ को पूर्व-संदर्भ, विचाराधीन या पुरस्कार के बाद की अवधि के लिए ब्याज देने से रोकता हो, जबकि 1996 के अधिनियम में एक विशिष्ट प्रावधान है जिसमें कहा गया है कि यदि समझौता पूर्व-पुरस्कार अवधि के लिए ब्याज देने से रोकता है, तो मध्यस्थ इसके लिए ब्याज नहीं दे सकता है।

अवधि ने कहा। इसलिए, अंबिका निर्माण में निर्णय (उपर्युक्त) तत्काल मामले में लागू नहीं किया जा सकता है।

17. रवीची एंड कंपनी (ऊपर) में निर्णय निर्भर था

अपीलार्थी के लिए विद्वान वकील द्वारा फिर से मध्यस्थता अधिनियम 1940 के तहत है जिसका तथ्यों पर कोई अनुप्रयोग नहीं है

वर्तमान मामला।
18. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, हमारा विचार है कि उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी के दावे को खारिज कर दिया था

पुरस्कार राशि पर अल्प ब्याज की मांग करना। "

गर्ग बिल्डर्स (ऊपर) के मामले में, इस न्यायालय ने कहा और

अभिनिर्धारित किया कि अम्बिका कंस्ट्रक्शन (ऊपर) और रवीची एंड कंपनी (ऊपर) के मामलों में इस न्यायालय के निर्णय, इसमें प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ वकील के पास कोई आवेदन नहीं होगा क्योंकि वे मध्यस्थता अधिनियम, 1940 के तहत थे। यह विवाद में नहीं है कि वर्तमान मामले में, पक्षकार 1996 के अधिनियम द्वारा शासित हैं।

8. ब्राइट पावर प्रोजेक्ट्स (इंडिया) (पी) लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में, जी. सी. सी. के खंड 16 (2) के साथ पैरिमेटेरिया खंड पर विचार करते हुए, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि जब अनुबंध के पक्षकार इस तथ्य पर सहमत होते हैं कि उस पर ब्याज नहीं दिया जाएगा

अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय राशि, वे अपनी समझ से बाध्य हैं और एक बार इस बात पर सहमत होने के बाद कि ठेकेदार अनुबंध के तहत भुगतान की जाने वाली राशि पर किसी भी ब्याज का दावा नहीं करेगा, वह दीवानी अदालत या मध्यस्थ न्यायाधिकरण के समक्ष ब्याज का दावा नहीं कर सकता था। उपरोक्त मामले में, इस न्यायालय ने अनुबंध के खंड 13 (3) पर विचार किया, जो निम्नानुसार हैः

[एम. आर. शाह, जे.]

" 13.3 - बकाया राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा और

प्रतिभूति जमा या अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय राशि, लेकिन इस खंड के उपखंड (1) के संदर्भ में जमा की गई सरकारी प्रतिभूतियां उपार्जित ब्याज के साथ चुकाई जाएंगी। उस पर "।

8.1 . उक्त निर्णय में, इस न्यायालय ने 1996 के अधिनियम की धारा 31 (7) (ए) पर भी विचार किया। यह विशेष रूप से देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि धारा 31 (7)

1996 अधिनियम, "जब तक कि पक्षकारों द्वारा अन्यथा सहमति न हो" शब्दों का उपयोग करके स्पष्ट रूप से निर्दिष्ट करता है कि मध्यस्थ की शर्तों से बाध्य है

जहां तक कार्रवाई के कारण की तारीख से पुरस्कार की तारीख तक ब्याज के पुरस्कार का संबंध है, अनुबंध। यह आगे देखा गया है और अभिनिर्धारित किया गया है कि जहां पक्षकार इस बात पर सहमत हुए थे कि कोई ब्याज देय नहीं होगा, मध्यस्थ न्यायाधिकरण ब्याज नहीं दे सकता है। इस प्रकार, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ का उपरोक्त निर्णय प्रत्यर्थी की ओर से किए गए निवेदन का जवाब है कि खंड 16 (2) के तहत प्रतिबंध के बावजूद, जो पक्षों पर लागू होता है, मध्यस्थ न्यायाधिकरण उससे बाध्य नहीं है। अतः प्रत्यर्थी की ओर से यह तर्क उठाया गया कि

खंड 16 (2) के तहत मध्यस्थ न्यायाधिकरण स्वतंत्र रूप से और न्यायसंगत आधार पर और/या न्याय करने के लिए ब्याज का अधिनिर्णय कर सकता है या भविष्य के ब्याज का कोई सार नहीं है और इसे स्वीकार नहीं किया जा सकता है। एक बार जब ठेकेदार इस बात पर सहमत हो जाता है कि वह अनुबंध के तहत देय राशि पर ब्याज का हकदार नहीं होगा, जिसमें पक्षकारों के बीच समझौते/अनुबंध के खंड 16 (2) में उल्लिखित बकाया राशि और प्रतिभूति जमा पर ब्याज भी शामिल है, तो मध्यस्थता में मध्यस्थ

कार्यवाहियों के अनुबंध का निर्माण होने के कारण, उनके बीच समझौते/अनुबंध की शर्तों के विपरीत, ब्याज देने की कोई शक्ति नहीं है। पक्षकार और इस मामले में विचाराधीन समझौते/अनुबंध के खंड 16 (2) के विपरीत।

10. प्रत्यर्थी की ओर से आगे की प्रस्तुति है -

उस खंड 16 को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए और ऐसा करने पर यह कहा जा सकता है कि खंड 16 विशेष रूप से बकाया धन और प्रतिभूति जमा से संबंधित है और इसे किसी भी तरह से इस तरह से नहीं पढ़ा जा सकता है कि यह लंबित ब्याज पर रोक का संकेत दे। यह ध्यान दिया जाना आवश्यक है कि खंड 16 (1) बकाया राशि/प्रतिभूति जमा के संबंध में है। तथापि, खंड 16 (2) है -

विशेष रूप से बकाया राशि या प्रतिभूति जमा या ठेकेदार को देय राशि पर देय ब्याज के संबंध में

अनुबंध। खंड 16 (2) में उपयोग किए गए शब्द "या" हैं। इसलिए, अभिव्यक्ति "[2021] 7 एस. सी. आर. के तहत ठेकेदार को देय राशि।

अनुबंध को "बयाना धन जमा" के संयोजन में नहीं पढ़ा जा सकता है।

या एजुस्डेम जेनरिस के सिद्धांत को लागू करके "प्रतिभूति जमा"। "अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय राशि" अभिव्यक्ति को स्वतंत्र रूप से और अलग-अलग रूप से बयाना धन जमा और प्रतिभूति जमा के लिए पढ़ा जाना चाहिए क्योंकि उपयोग किया जाने वाला शब्द "या" और नहीं "और" बयाना धन जमा "," प्रतिभूति जमा "और" अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय राशि "के बीच है। इसलिए, वर्तमान मामले में इजसडेम जेनरिस का सिद्धांत लागू नहीं होता है। एजुस्डेम जेनेरिस के सिद्धांत पर, यह न्यायालय टिहरी जल विकास के मामले में

निगम (भारत) लिमिटेड (उपर्युक्त) ने पैराग्राफ 22 और 23 में निम्नलिखित रूप में अवलोकन और अभिनिर्धारित किया हैः

" 22. जहां तक न्याय के सिद्धांत पर आधारित तर्क का संबंध है, डिवीजन बेंच ने कहा है कि ऐसा नहीं है

वर्तमान मामले में लागू। हम पाते हैं कि यह उचित ही है। एजुस्डेम जेनरिस निर्माण का नियम है। उच्च न्यायालय ने इस तर्क को निम्नलिखित तरीके से खारिज कर दिया हैः [जयप्रकाश एसोसिएट्स एलडी। वी. टिहरी पनबिजली विकास निगम (इंडिया) लिमिटेड,

2012 एस. सी. सी. ऑनलाइन डेल 6213]

लेकिन केवल तभी जब कोई विशिष्ट वंश या श्रेणी हो। जहाँ इसकी कमी है अर्थात, जब तक कोई श्रेणी नहीं है, नियम लागू नहीं हो सकता है। जैसा कि सही माना जाता है, एजुस्डेम जेनरिस का नियम केवल तभी लागू होगा जब एक अलग जीनस या एक श्रेणी हो, जिसकी तत्काल मामले में कमी हो। यह नियम तब लागू होता है जब विशेष शब्द

एक खंड, श्रेणी या वंश से संबंधित सामान्य शब्दों का अनुसरण किया जाता है। ऐसी स्थिति में, सामान्य शब्दों को उसी प्रकार की चीजों तक सीमित माना जाता है जो निर्दिष्ट हैं। इस अर्थ में, यह नियम अन्य नियमों को ध्यान में रखते हुए विशिष्ट और सामान्य शब्दों के बीच असंगतता को मिलाने के प्रयास को दर्शाता है।

व्याख्या कि एक क़ानून में सभी शब्दों को प्रभाव दिया जाता है, यदि संभव हो, कि एक क़ानून को समग्र रूप से समझा जाना है और एक क़ानून में किसी भी शब्द को अनावश्यक नहीं माना गया था। [लोकमत देखें।

समाचार पत्र (पी) लिमिटेड बनाम शंकरप्रसाद [लोकमत समाचार पत्र

(पी) लिमिटेड बनाम। शंकरप्रसाद (1999) 6 एस. सी. सी. 275]।

23. वास्तव में, इसी तरह के खंड का अर्थ लगाते हुए, यह न्यायालय बी. एच. ई. एल. बनाम. ग्लोब हाई-फैब्स लिमिटेड, (2015) 5 एस. सी. सी. 718 ने माना है कि इजसडेम जेनरिस का नियम, इस प्रकार लागू नहीं होता हैः (बीएचईएल

मामला [बी. एच. ई. एल बनाम. ग्लोब हाय-फैब्स लिमिटेड, (2015) 5 एससीसी 718: (2015) 3 एससीसी (सीआईवी) 287], एससीसी पीपी। 722-23 , पैरा 12 और 15-16)

" 12. इजस्डेम जेनरिस के नियम को सावधानी और सावधानी के साथ लागू किया जाना चाहिए। यह कानून का एक अलंघनीय नियम नहीं है, लेकिन यह केवल इसके विपरीत संकेत के अभाव में अनुमेय निष्कर्ष है, और जहां संदर्भ और अधिनियम के उद्देश्य और शरारत को सामान्य महत्व के शब्दों के साथ सीमित अर्थ जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, यह अदालतों का कर्तव्य बन जाता है कि वे उन शब्दों को उनका स्पष्ट और सामान्य अर्थ दें। जैसा कि कहा गया है [काजी वी। काजी, 1980 ए. सी. 744: (1979) 3 लॉर्ड स्कारमैन द्वारा डब्ल्यू. एल. आर. 833 एच. एल.:

' यदि किसी क़ानून का विधायी उद्देश्य ऐसा है कि एक वैधानिक श्रृंखला को सामान्य माना जाना चाहिए, तो नियम सहायक है। लेकिन, यदि ऐसा नहीं है, तो क़ानून के उद्देश्य को पूरा करने की तुलना में नियम के हारने की अधिक संभावना है। वैधानिक व्याख्या के कई अन्य नियमों की तरह यह नियम भी एक उपयोगी सेवक है लेकिन एक खराब स्वामी है। इसलिए सामान्य शासन के आधार पर एक संकीर्ण निर्माण को एक उद्देश्यपूर्ण निर्माण को अपनाकर संसद के इरादे को प्रभावी बनाने के लिए एक व्यापक निर्माण को रास्ता देना पड़ सकता है।

15. यहाँ सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तथ्य यह है कि इजसडेम जेनरिस नियम लागू नहीं है, इसका जरूरी अर्थ यह नहीं है कि "अन्य" शब्द या इसी तरह के सामान्य शब्दों के प्रथम दृष्टया व्यापक अर्थ को प्रतिबंधित नहीं किया जा सकता है यदि भाषा या संदर्भ और अधिनियम की नीति एक प्रतिबंधित निर्माण की मांग करती है। में

अभिव्यक्ति "अधिकार क्षेत्र का दोष या समान प्रकृति का अन्य कारण" जैसा कि वे सीमा अधिनियम की धारा 14 (1) में पाए जाते हैं, "अन्य कारण" शब्दों की व्यापकता को स्पष्ट रूप से "समान प्रकृति के" शब्दों द्वारा काट दिया जाता है, हालांकि इजस्डेम जेनरिस का नियम सख्ती से है यह एक प्रजाति के रूप में लागू नहीं होता है क्योंकि "अधिकार क्षेत्र का दोष" एक जीनस का गठन नहीं करता है। एक अन्य उदाहरण जिसका यहाँ उल्लेख किया जा सकता है वह मोटर वाहन अधिनियम की धारा 129 है जो

इस या किसी अन्य पक्ष में प्राधिकृत किसी भी पुलिस अधिकारी को अधिकार देता है।

राज्य सरकार द्वारा "पंजीकरण के प्रमाणन के बिना उपयोग किए जाने वाले वाहनों को हिरासत में लेने और जब्त करने के लिए या

अनुमति दें। इस खंड में "अन्य व्यक्ति" शब्द [2021] 7 एस. सी. आर. नहीं हो सकते।

एकल के उल्लेख के लिए एजुस्डेम जेनरिस के नियम द्वारा समझा गया

प्रजाति, अर्थात्, "पुलिस अधिकारी" एक वंश का गठन नहीं करता है, लेकिन वाहनों को हिरासत में लेने और जब्त करने की शक्ति के महत्व को ध्यान में रखते हुए यह अनुमान लगाना उचित है कि "अन्य व्यक्ति" शब्द सरकारी अधिकारियों की श्रेणी तक ही सीमित थे। उसी में

"लिखित आवेदन दाखिल करने से पहले" शब्दों की व्याख्या करने का मामला श्रेणी में आता है।

कार्यवाहियों में बयान या कोई अन्य कदम उठाना "जैसा कि वे मध्यस्थता अधिनियम, 1940 की धारा 34 में होते हैं। जिस संदर्भ में "कोई अन्य कदम" अभिव्यक्ति का अर्थ स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से मध्यस्थता समझौते के लाभ को माफ करने के इरादे को प्रकट करने वाले एक कदम के रूप में उचित रूप से समझा गया है, हालांकि इजस्डेम जेनरिस के नियम में, नहीं है।

एकल प्रजाति के उल्लेख के लिए आवेदन। लिखित बयान

एक वंश का गठन नहीं करता है।

16. वर्तमान मामले में हमने देखा कि ब्याज को प्रतिबंधित करने वाला खंड बहुत व्यापक रूप से लिखा गया है। यह "किसी भी राशि के कारण" शब्दों का उपयोग करता है।

नियोक्ता द्वारा ठेकेदार "। हमारी राय में, इन शब्दों को पहले के शब्दों "गंभीर" के साथ एजुस्डेम जेनरिस के रूप में नहीं पढ़ा जा सकता है।

धन "या" प्रतिभूति जमा "।

11. इसके अलावा, मैसर्स प्रदीप विनोद कंस्ट्रक्शन कंपनी (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भारी निर्भरता रखी गई है।

प्रत्यर्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील। यह इस कारण से लागू नहीं होगा कि उक्त निर्णय दो न्यायाधीशों की पीठ द्वारा लिया गया है और ब्राइट पावर प्रोजेक्ट्स (इंडिया) (पी) लिमिटेड (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा लिया गया विपरीत विचार तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा लिया गया है। इसके अलावा, मेसर्स प्रदीप विनोद कंस्ट्रक्शन कंपनी (ऊपर) के मामले में, इस न्यायालय ने ब्राइट पावर प्रोजेक्ट्स (इंडिया) (पी) लिमिटेड (ऊपर) के मामले में इस न्यायालय के बाध्यकारी निर्णय पर विचार नहीं किया है, जो तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा किया गया है। अन्यथा भी, यह टिहरी पनबिजली विकास निगम के मामले में इस न्यायालय के फैसले से पहले की बात है (इंडिया) लिमिटेड (ऊपर), और इस न्यायालय का उक्त बाद का निर्णय भी तीन न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय है। इसके अलावा, मेसर्स प्रदीप विनोद कंस्ट्रक्शन कंपनी (उपरोक्त) के मामले में, हालांकि खंड 16 (2) में इस्तेमाल की गई अभिव्यक्ति "या अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय राशि" है, इस न्यायालय ने केवल बकाया राशि और प्रतिभूति जमा पर ब्याज के गैर-अधिनिर्णय पर विचार किया है। किसी भी मामले में, इस न्यायालय के बाद के निर्णयों को ध्यान में रखते हुए, जिसे यहाँ ऊपर संदर्भित किया गया है और जी. सी. सी. के खंड 16 (2) को ध्यान में रखते हुए, मध्यस्थ ब्याज, विचाराधीन या भारत का संघ v का अधिनिर्णय नहीं कर सकता था।

12. प्रत्यर्थी की ओर से अंतिम निवेदन यह है कि उच्च न्यायालय के समक्ष अपीलार्थी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने स्वीकार किया कि याचिका में उठाया गया मुद्दा मैसर्स प्रदीप विनोद कंस्ट्रक्शन कंपनी (उपरोक्त) में इस न्यायालय के फैसले के दायरे में आता है और अपीलार्थी ने भी प्रत्यर्थी-ठेकेदार के खिलाफ 18 प्रतिशत की दर से ब्याज का दावा किया है, इसलिए अपीलार्थी के लिए इस न्यायालय के समक्ष इस मुद्दे को फिर से आंदोलन करने के लिए खुला नहीं है, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून के विपरीत वकील द्वारा दी गई रियायत पक्षकारों के लिए बाध्यकारी नहीं होगी। इसके अलावा, केवल इसलिए कि अपीलार्थी ने ब्याज का दावा किया है, इसका मतलब यह नहीं है कि ठेकेदार लंबित ब्याज का हकदार होगा। भले ही अपीलार्थी को ब्याज दिया गया होता, लेकिन यह भी अनुज्ञेय नहीं था और चुनौती का विषय हो सकता था। संक्षेप में, कानून के खिलाफ कोई रोक नहीं हो सकती है।

13. उपरोक्त चर्चा और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, हम मानते हैं कि तत्काल मामले में विद्वान मध्यस्थ ने गलती की है

विचाराधीन अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय और देय राशि पर लंबित राशि और भविष्य का ब्याज देने में और इसकी उच्च न्यायालय द्वारा गलती से पुष्टि की गई है।

14. तदनुसार, वर्तमान अपील सफल होती है। 1996 के अधिनियम की धारा 37 के तहत एक अपील में उच्च न्यायालय की खंड पीठ द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश और 1996 के अधिनियम की धारा 34 के तहत एक आवेदन में विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश और विद्वान मध्यस्थ न्यायाधिकरण द्वारा लंबित राशि और अनुबंध के तहत ठेकेदार को देय और देय राशि पर भविष्य का ब्याज प्रदान करने वाले निर्णय को रद्द कर दिया जाता है और अलग कर दिया जाता है। यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि जी. सी. सी. के खंड 16 (2) में निहित विशिष्ट प्रतिबंध को ध्यान में रखते हुए, ठेकेदार अनुबंध के तहत उसे देय और देय राशियों पर किसी भी लंबित ब्याज या भविष्य के ब्याज का हकदार नहीं होगा।

15. तदनुसार अपील की अनुमति दी जाती है। हालांकि, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

अपील की अनुमति दी गई।

निधि जैन